डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

...सिंह गूर्जर पुत्र हरज्ञान सिंह जाति गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. नायब तहसीलदार बालघाट।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती

मु0न0 61 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री दिलावर सिंह बैसला ...डवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर ...म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा बावत इस्तकरारहक एवं इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जाकर ...म लुहारखेडा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 62 मे मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान ... स्थान पर मुनीम सिंह पुत्र हरज्ञान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ...टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

निज......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के ...य शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. ...दा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.10.2020 को जारी की ...गई।

27/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0:– 61 / 2020

तारीख रजू:– 22.7.2020

पीठसीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

म सिंह गूर्जर पुत्र हरज्ञान सिंह जाति गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. नायब तहसीलदार बालघाट।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती
उपस्थितिः– श्री दिलावर सिंह बैसला एडवोकेट (वादी)
पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांकः– 27.10.2020

वादपत्र का संक्षेप विवरण इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम लुहारखेडा की
माबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 62 के ख0न0 105 / 0.07, 106 / 0.08, 221 / 0.
6, 226 / 0.17, 232 / 0.16, 233 / 0.16, 235 / 0.19, 241 / 0.16, 244 / 0.06, 247 / 0.11,
61 / 0.11, 262 / 747 / 0.03, 279 / 0.09, 34 / 0.19, 378 / 0.07, 379 / 0.07, 380 / 0.13,
81 / 0.15, 381 / 797 / 0.19, 396 / 0.51, 406 / 0.15, 407 / 0.16, 47 / 0.11, 50 / 0.10,
0 / 0.09, 63 / 0.21, 65 / 0.06, 657 / 0.26, 657 / 801 / 0.26, 658 / 0.22, 659 / 0.22,
70 / 0.12, 671 / 0.12, 672 / 0.12, 673 / 0.12, 70 / 0.09, 9 / 0.06 कुल किता 37 कुल
कवा 5.23 है0 मे वादी के पिता मुनीमसिंह की मृत्यु के पश्चात मुनीम सिंह के स्थान पर
हवन से मुनि सिंह खोल दिया जबकि वादी का सही नाम मुनीम सिंह गूर्जर है। मुनि सिंह
नाम का कोई आदमी नही है। वादी के समस्त कागजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र,
शैक्षणिक अंकतालिकाओ मे मुनीमसिंह गूर्जर अंकित है इसलिये राजस्व रिकार्ड मे मुनिसिंह का
नाम हजफ कर दुरूस्ती करते हुये मुनीमसिंह दर्ज किया जावे। नायब तहसीलदार बालघाट
द्वारा नाम दुरूस्ती नही कर न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम मे दावा दर्ज करने की
कहने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री कर मुनिसिह के स्थान पर मुनीम सिंह
दर्ज फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी
पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वर्णित आराजीयात जमाबन्दी ग्राम
लुहारखेडा सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 60 मे हरज्ञान पुत्र रामहंस हिस्सा 1 / 5 जाति
गूर्जर शामलाती खाते मे दर्ज थी। नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 18.6.2018 से विरासत से
मगनसिंह, मुनिंसिंह, देशराज सिंह, राजेश ,रामगोपाल, अनूपसिंह, पि0 हरज्ञान, सीमा पुत्री
हरज्ञान, पाची पत्नि स्व0 हरज्ञान के नाम दर्ज किया गया। विरासत के नामांतकरण से
मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान दर्ज हुआ है। मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान व मुनीमसिंह पुत्र हरज्ञान एक ही
व्यक्ति है, तथा वास्तविक नाम मुनीम सिंह पुत्र हरज्ञान है।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये एवं तहसीलदार टोडाभीम
की और से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान के
स्थान पर मुनीमसिंह पुत्र हरज्ञान दर्ज करने के आदेश जारी करने का कथन किया। पैरोकार

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

ार ने जबाब दावे मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि हरज्ञान के विरासत ामांतकरण दर्ज करते समय मुनिसिंह नाम दर्ज हो गया है। मुनिसिंह एवं मुनीम सिंह एक ्यक्ति है, जिसका सही एवं शुद्व नाम मुनीम सिंह ही है। नाम दुरूस्त किया जाना उचित

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे शामिल ावेजो का अवलोकन किया। नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 18.6.2018 से हरज्ञान पुत्र ंस की विरासत खोलते समय मगनसिंह, मुनिसिंह, देशराज सिंह, राजेश, रामगोपाल, अनूप , पि. हरज्ञान, सीमा पुत्री हरज्ञान, पाची पत्नि स्वं0 हरज्ञान हिस्सा बराबर 1/5 शेष ्तूर स्वीकार हुआ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम लुहारखेडा सम्वत 2075–78 के खाता ्या 62 मे नामातकरण के अनुसार मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के ्रान पत्र स. बी एस एक्स/1531367 आधार कार्ड संख्या 5424 4835 0458, राशनकार्ड ्या 007631700169, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी 1998 व हायर सैकण्डरी ्तालिका 2000, मे वादी का नाम मुनीमसिंह पुत्र हरज्ञान दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजो, ्सीलदार टोडाभीम पैरोकार सरकार की अनुशंषा के आधार पर मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान के ्ान पर मुनीम सिह पुत्र हरज्ञान दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा बावत इस्तकरारहक एवं इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जाकर ्म लुहारखेडा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 62 मे मुनिसिंह पुत्र हरज्ञान स्थान पर मुनीम सिंह पुत्र हरज्ञान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ्डाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया ्या।

27/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०